एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 05, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2025)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

किसानों और प्रजनकों के अधिकारों का सशक्त संरक्षण: अधिनियम, 2001

*शिखा उपाध्याय एवं स्तुति शर्मा
आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, म.प्र., भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: upadhyay14shikha@gmail.com

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की आजीविका मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन, कीट, रोग और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में किसानों और पौध प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचा आवश्यक था। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने "पौध किस्मों और कृषकों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" (PPV&FR Act, 2001) लागू किया। यह अधिनियम न केवल किसानों और प्रजनकों को उनके नवाचारों का अधिकार देता है, बल्कि नई पौध किस्मों के विकास और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि

भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का संस्थापक सदस्य है। WTO के TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) समझौते के तहत सभी सदस्य देशों को पौध किस्मों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान करने थे।भारत ने इस समझौते का पालन करते हुए एक "Sui Generis System" विकसित की — यानी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप विशेष व्यवस्था। 2001 में अधिनियम पारित हुआ, 2003 में इसके नियम बने और 11 नवंबर 2005 को प्राधिकरण (Authority) की स्थापना की गई।

मुख्य उद्देश्य

- पौध किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी प्रणाली स्थापित करना।
- किसानों द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सुधार में किए गए योगदान को मान्यता देना।
- नई किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहन देना।
- देश में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषि विकास को गति देना।

प्राधिकरण के प्रमुख कार्य

- नई, पूर्ववर्ती और व्युत्पन्न पौध किस्मों का पंजीकरण।
- DUS परीक्षण (Distinctness, Uniformity, Stability) दिशानिर्देश तैयार करना।
- किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और किसानों के योगदान की पहचान।
- पारंपरिक किस्मों और कृषक समुदायों को पुरस्कार और मान्यता प्रदान करना।

पौध किस्म की सुरक्षा का अर्थ

किसी पंजीकृत किस्म का अनधिकृत उत्पादन, विक्रय या निर्यात अवैध है।यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right) है, जो उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने किस्म का विकास किया हो। पंजीकृत प्रजनक की अनुमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति आर्थिक लाभ नहीं उठा सकता।

किसान और किसान किस्म

किसान:वह व्यक्ति जो अपनी भूमि पर खेती करता है, या किसी अन्य के माध्यम से खेती की निगरानी करता है, या जंगली/पारंपरिक किस्मों का संरक्षण करता है।

किसान किस्म:वह किस्म जो लंबे समय से किसानों की भूमि पर परंपरागत रूप से उगाई जा रही हो, या जंगली प्रजाति या भूमि नस्ल (landrace) हो जिसके बारे में किसानों के पास पारंपरिक ज्ञान हो।

किसान अधिकार (Farmers' Rights)

1. किसान अपनी संरक्षित किस्मों के बीज को बचाकर, बोकर, आदान-प्रदान और बेच सकता है — बशर्ते वह ब्रांडेड रूप में बिक्री न करे।
2. यदि किसान की पारंपरिक किस्म किसी पंजीकृत किस्म के विकास में उपयोग की गई है, तो उसे राष्ट्रीय जीन कोष (National Gene Fund) से सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है।
3. यदि पंजीकृत किस्म का बीज अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करे, तो किसान मुआवजे का दावा कर सकता है।

पुरस्कार और मान्यताएँ

कृषकों द्वारा पौध आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में दिए गए योगदान को मान्यता देने के लिए सरकार और प्राधिकरण हर वर्ष विशेष सम्मान प्रदान करते हैं:

Plant Genome Saviour Community Award — ₹10 लाख (5 पुरस्कार)

Plant Genome Saviour Farmer Reward — ₹1.5 लाख (10 पुरस्कार)

Plant Genome Saviour Farmer Recognition — ₹1 लाख (20 मान्यताएँ)

ये पुरस्कार पारंपरिक किस्मों के संरक्षण, चयन और सुधार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कृषकों और समुदायों को दिए जाते हैं।

पंजीकरण के लिए पात्र किस्में

1. **नई किस्म (New Variety):** भारत या विदेश में विकसित नई किस्म जो हाल में उपयोग में आई हो।
2. **विद्यमान किस्म (Extant Variety):** पारंपरिक या पहले से अधिसूचित किस्में।
3. **व्युत्पन्न किस्म (EDV):** पहले से मौजूद किस्म से किसी विशेष गुण के लिए विकसित नई किस्म।

अब तक भारत में 161 प्रजातियाँ पंजीकरण योग्य घोषित की जा चुकी हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया

- किसान, प्रजनक, संस्था या समुदाय आवेदन कर सकते हैं।
- किसान किस्मों का आवेदन **पंचायत की अनुशंसा** और **राज्य कृषि विश्वविद्यालय या ICAR संस्थान** के माध्यम से किया जाता है।
- आवेदन **www.plantauthority.gov.in** वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके किया जा सकता है।

आवेदन फॉर्म

- **Form I:** नई और विद्यमान किस्मों के लिए
- **Form II:** व्युत्पन्न किस्मों के लिए
- **Form (Schedule VI):** किसान किस्मों के लिए

DUS परीक्षण और पंजीकरण अवधि

प्रत्येक किस्म को Distinctness, Uniformity, Stability (DUS) परीक्षण से गुजरना होता है। यह परीक्षण दो अलग-अलग स्थानों पर किया जाता है ताकि लक्षणों की स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षा अवधि

- वृक्ष एवं लताएँ — 18 वर्ष
- अन्य फसलें — 15 वर्ष

- अधिसूचित किस्में — अधिसूचना से 15 वर्ष

सुरक्षा अवधि समाप्त होने पर किस्म सार्वजनिक क्षेत्र (Public Domain) में आ जाती है और कोई भी उसका उपयोग कर सकता है।

मुआवजे का दावा

यदि किसान ने अधिकृत विक्रेता से बीज खरीदा हो और वह विज्ञापन के अनुसार प्रदर्शन न करे, तो किसान Form PV-25 के माध्यम से प्राधिकरण से मुआवज़े का दावा कर सकता है। परंतु यदि बीज किसी अन्य किसान से लिया गया हो, तो मुआवज़े का अधिकार नहीं मिलेगा।

अधिनियम का महत्त्व

- यह अधिनियम भारत के किसानों को बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है।
- कृषकों को उनके योगदान की कानूनी मान्यता मिलती है।
- यह नई पौध किस्मों के विकास को बढ़ावा देकर कृषि जैव विविधता और नवाचार को सशक्त बनाता है।
- इससे देश का बीज उद्योग और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होते हैं।

निष्कर्ष

पौध किस्मों और कृषकों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 भारत के किसानों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। यह न केवल पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करता है बल्कि किसानों को नवाचार के लिए प्रेरित भी करता है।इस अधिनियम ने किसानों को "बीज के स्वामी" का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया है और भारतीय कृषि को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है।